

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या—

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-2

(सम्बन्धित उम वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

FP/UK/ROAD/19747/

2016

7- परियोजना / स्कॉम का स्थान

(1) राज्य / संघ शोसित क्षेत्र
(2) जिला

(3) वन प्रभाग

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है) 3.97 ha
(5) वन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्व

(7) जातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि / श्रेणीवार वृक्षों की परिणामा (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0- 2 मी0 पर परिणाम और एफ0आर0एल0-4 मी0 भी संलग्न किये जायें।

(8) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(9) क्या कार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

- संलग्न

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुलभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धित व्यौरा हैं।

- नहीं

- नहीं

- नहीं

- पुरातात्त्व वन भूमि - ५ नहम है।

- नहीं

- संलग्न

(8) प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

(9) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा है वया उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अनी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण रकीम का व्यौरा—

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/आवश्यक सेत वन क्षेत्र, आरामास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

- (2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षेत्र वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता है।
- (3) रैमित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन ऐंजेन्टी समय अनुसूची लागत, बांधा आदि
- (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय
- (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकारी दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से ममाम-पन्न (सम्बन्धित उम वन संरक्षक छारा हस्ताक्षरित किया जाय)

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम-7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र:- **803000ha**

(2) जिला का वन क्षेत्र:- **514792 ha**

(3) मानसिकों की संख्या सहित 1980 से वर्तमान प्रयोग में जाया गया कुल क्षेत्र:- **214 मास्रे 826.453 ha**

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित घुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दफ्तर के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि मर

- **102 एकड़ी**

(5) **15-03-2017** तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर **462.94 ha**

(ख) वनेत्तर भूमि पर **497.57 ha**

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उम वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

तिथि:-

14.4.2017

स्थान:-

गोपेश्वर

- **संलग्न (पुरताल में)**

- **नहीं**

- **दंडन**

- **संलग्न**

- **संलग्न (पुरताल में)**

हस्ताक्षर

(नाम:-

(सन्. एन. पाठेय)

प्रभागीय वनाधिकारी

द्रानाथ वक्तप्रधारी, मेरठ